# फर्द अहकाम

## हरिसिंह बनाम सत्यनारायण वगै0

नाम न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या 21/2024 T.I.

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22.05.2024 | यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री सीताराम सैनी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी को सुनने पर मामला प्रथम दृष्टया अस्थाई निषेधाज्ञा का होना जाहिर किया।<br>अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 246 के ख.न. 322 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नं0 540/3 रकबा 3.5280 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.6797 हैक्टेयर व खाता संख्या 93 के आराजी खसरा नम्बर 540/5 रकबा 3.7935 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 के खसरा नंबर 9/10 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, खाता संख्या 287 के आराजी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धुवालियां एवं खाता संख्या 189 के खसरा नंबर 478/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर व खसरा नंबर 478 रकबा 0.2403 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी,जिला–दूदू | |
| | 21/6/24 | पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9/8/24 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी | |
| | 5/7/24 | पत्रावली वादी/प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने अपने मूलवाद को आज तलब फरमा-कर विड्रा करा लिया है। मूलवाद के साथ ही प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तलब फरमाई गई। मूल वाद को विड्रा करा लेने के पश्चात प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। | हरिसिंह चौधरी |

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू